रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092020-221699
CG-DL-E-12092020-221699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2760] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942
No. 2760] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2020

का.आ. 3107(अ).—जबकि, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 1401(अ), दिनांकित 31 मई, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 226 वि. (नया रारा-136) के पेराम्बलुर से प्रारंभ होकर और तंजावूर पर समाप्त होने वाले (किमी 0.000 से किमी 66.200 तक) तक के खंड को तमिलनाडु राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पशचात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्टीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 226 वि. (नया रारा-136) के पेराम्बलुर – तंजावूर खंड के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 24.370, किमी 29.210 – 38.000 और किमी 38.350 – 66.200 (मौजूदा किमी 0.000 से किमी 66.200 तक) तक खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 61.01 किमी की निवल संडक खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत दर पर यांत्रिक वाहन से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्-:

तालिका-I

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
पेराम्बलुर जिले में पेराली गांव के निकट रारा-226 वि.के किमी 7/6 पर	61.01 किमी	दो लेन/पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों

के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1 ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 162.13 करोड़ रू. है। [चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, मूल्य समायोजन, जीएसटी आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।] प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. सीई-आरओ/चेन्नै/एमओआरटीएच/12014/216/2018-19]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2020

S.O. 3107(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1401(E) dated 31st May 2013, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, entrusted the stretch from Perambalur and terminating at Thanjavur (from km 0.000 to km 66.200) of National Highway No.226 Extn., (New NH 136) in the State of Tamil Nadu to the State Government of Tamil Nadu.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 61.01 kilometre on type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below of Perambalur – Thanjavur section from Design Km 0.000 to Km 24.370, Km 29.210 – 38.000 and Km 38.350 – 66.200 (existing Km 0.000 to Km 66.200) of National Highway number 226 Extn., (New NH 136) in the State of Tamil Nadu and authorizes the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of Vehicle	**Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three Axle Commercial Vehicles.	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle(MAV)(Four to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza;

Table – 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 7/6, near village Perali in Perambalur District of NH-226 Extn	61.01 Km.	60% for two lane/two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass, for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265.00 (Rupees Two Hundred sixty five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules.
3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table – 3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub – rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table–1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised

annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

9. The Estimated Capital cost of the project is Rupees 162.13 Crore [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/216/2018-19]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.12 13:58:15 +05'30'